केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00047
CICOM/R/P/21/00065

अपीलकर्ता : श्री जोगिन्द्र सिंह
18/82-C, ईस्ट मोती बाग
सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110007.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.01.2021
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.02.2021, 23.02.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. के. चित्कारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.02.2021, 27.02.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	24.02.2021, 08.03.2021
निर्णय की तारीख	23.03.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से बिंदु सं. 1 एवं 2 के तहत द्वितीय अपील सं. CIC/SA/A/2015/001700/SB से संबंधित क्रमशः डायरी सं. 160651 दिनांक 01.08.2016 एवं डायरी सं. 160639 दिनांक 01.08.2016 पर की गई कार्यवाही, बिंदु सं. 3 के तहत द्वितीय अपील सं. CIC/SB/A/2015/283 से संबंधित डायरी सं. 105385 दिनांक 25.01.2017 पर की गई कार्यवाही तथा बिंदु सं. 4 के तहत डायरी सं. 123858 दिनांक 28.03.2016 पर की गई कार्यवाही की सूचना एवं जारी आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. आयोग के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to CIC (YS) द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00065/1 दिनांक 05.02.2021 के माध्यम से बिंदु सं. 3 एवं 4 तथा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00065 दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से बिंदु सं. 1 एवं 2 से संबंधित बिंदुवार निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की गई:-

Point No.1-2 It is informed with respect to point 1 and 2 of the RTI application that no records pertaining to complaint dy no. 105385 and dy no. 160639 are available.

Point No. 3 With respect to point no. 3 of the RTI application no records pertaining to complaint dy no 105385 dated 25.01.2017 are available. However, a copy of CIC order No. CIC/SB/A/2015/000283 is enclosed.

Point No. 4 With respect to point no. 4 of the RTI application, a copy of CIC order no. CIC/SB/A/2015/000283 against Second Appeal Dy. No. 123858 dated 28.03.2016 is enclosed.

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 MAR 2021
D. No.
Initials.

---2/-

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने दिनांक 12.02.2021 के प्रथम अपील आवेदनों में बिंदु सं. 1 के तहत प्रदान की गई सूचना के संदर्भ में उल्लेख किया है कि "क्या यह संभव है कि हमारी शिकायत का रिकार्ड आपके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, कृपया जांच करवाई जाए कि हमारी शिकायत कहाँ गायब कर दी गई है" तथा बिंदु सं. 2, 3, एवं 4 के संदर्भ में उल्लेख किया है कि "न तो कोई सूचना दी गई है और न ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं" । अपीलकर्ता ने दिनांक 27.02.2021 के प्रथम अपील में भी उल्लेख किया है कि "यह जवाब/सूचना पाकर हम स्तब्ध एवं हैरान हैं कि माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय द्वारा हमारी ये शिकायते कहाँ और कैसे गायब कर दी गई हैं" तथा अनुरोध किया है कि "कृपया जांच करवाई जाए कि हमारी ये गम्भीर शिकायतें कहाँ गायब कर दी गई है और इसके लिए कौन जवाबदेह एवं जिम्मेदार है" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 18.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ((DO to CIC (YS) द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00065/1 दिनांक 05.02.2021 तथा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00065 दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरूप नहीं है । अतः संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to CIC (YS) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर मांगी गई सूचना का पुन: अवलोकन कर स्पष्ट रूप में वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 23 मार्च, 2021.

मी.ब.श. 23/3/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार,केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. के. चित्कारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to CIC (YS) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

24/3/2021